

प्रपत्र-1 (आवेदन पत्र)

कृषि विभाग की विभिन्न अनुदान योजनाओं के तहत कृषि उपकरण/यंत्र/ट्रैक्टर/पौध संरक्षण यंत्र/सिंचाई पंप एवं सहायक सामग्री प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र (जिस कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे छोड़कर शेष काट दें)

प्रति,

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
रायपुर

आवेदक का
स्वसत्यापित
पासपोर्ट साईज
फोटो

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जाति (अनु.जाति/अनु.जाति/
पिछड़ा वर्ग/अन्य) :
4. लिंग (पुरुष/महिला) :
5. ग्राम का नाम :
6. विकासखण्ड :
7. जिला :
8. आवेदक से पत्र व्यवहार का पता :
9. STD कोड सहित फोन नं./मोबाईल नम्बर :
की जानकारी अवश्य दें
10. आधार कार्ड/वोटर आई.डी./अन्य आई.डी.नं. :
11. किसान क्रेडिट कार्ड का विवरण –
बैंक का नाम :
कार्ड क्रमांक :
शाखा सीमा :
12. कृषक के बैंक खाते का विवरण (यदि है तो
बैंक पास बुक की छाया प्रति संलग्न करें)
बैंक का नाम :
शाखा का नाम :
खाता क्रमांक :
आईएफएससी कोड :

13. मेरी कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ऋण पुस्तिका क्र.	खसरा नं.	रकबा (हे.)	कृषि यंत्र/उपकरण/सिंचाई पंप/पौध संरक्षण यंत्र उपयोग हेतु कृषि भूमि	
				खसरा नं.	रकबा
योग					

नोट :- किसान समृद्धि योजना अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में बोर खनन का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।

14. जोत के अनुसार कृषक की श्रेणी : सीमान्त / लघु / अन्य
15. मेरी कृषि भूमि संबंधी नवीनतम दस्तावेज (6 माह से अधिक पुराना नहीं हैं) नक्शा/बी-1/ खसरा पांच साल की नकल की प्रति संलग्न है।
16. मैं निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत उनके सम्मुख उल्लेखित प्रयोजन हेतु अनुदान प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ :-

क्र.	योजना का नाम	प्रयोजन	प्राथमिकता क्रम

17. मैं उक्त प्रयोजन हेतु उल्लेखित बैंक शाखा से ऋण लेना चाहता/चाहती हूँ। ☐ बैंक का नाम..... शाखा आईएफएससी कोड क्र.

अथवा

स्ववित्तीय साधन से क्रय हेतु सक्षम हूँ। ☐

(चयनित बाक्स में ✓ सही निशान लगायें)

18. मैं उल्लेखित प्रयोजन हेतु सम्मुख दर्शित मेसर्स पंजीकृत कम्पनी से सामग्री क्रय करना चाहता/चाहती हूँ।
19. ट्रैक्टर चलित यंत्रों यथा एमबी प्लाऊ, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल आदि अनुदान पर लेने की स्थिति में ट्रैक्टर की आर.सी. बुक का क्रमांक है। जिसकी सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।
20. वांछित प्रयोजन हेतु कोटेशन/प्रोफार्मा बिल क्र..... दिनांक..... राशि रुपये संलग्न है।
21. मेरे द्वारा आवेदित प्रयोजन के लिए पूर्व में कृषि/उद्यानिकी विभाग की अन्य योजनाओं/योजना से लाभ/अनुदान नहीं लिया गया है।

22. मैंने उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी भी योजना से अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। प्रथम बार उक्त प्रयोजन हेतु अनुदान का लाभ लेना चाहता हूँ।
23. मैं कृषि विभाग से अनुदान योजना के तहत प्राप्त होने वाले उक्त सिंचाई पंप/यंत्र/उपकरण/सहायक सामग्री आदि को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को सामग्री प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर विक्रय/दान अथवा अन्य किसी विधि से हस्तांतरित नहीं करूंगा।
24. विद्युत चलित पंप/उपकरण के प्रकरण हेतु विद्युत उपलब्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
25. उक्त कथन/कंडिका की किसी भी बिन्दु की जानकारी गलत पायी जाने पर आवेदन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
26. मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित कंडिका 1 से 22 तक की जानकारी सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा उक्त वर्णित कोई भी कंडिका/कथन गलत पाये जाने/उल्लंघन होने पर प्राप्त अनुदान की राशि मैं ब्याज सहित शासन को वापस करूंगा/करूंगी। यदि धन राशि वापस नहीं की गई तो संपूर्ण अनुदान राशि मय ब्याज के भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रदायक/ प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर
सील सहित.....

नाम
ग्राम/पता.....

संलग्नक :-

आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज

क्र.	दस्तावेज के नाम		हां	नहीं
1.	बी-1 खसरा पांच साल की नकल एवं नक्शा			
2.	ग्राम पंचायत की अनुशंसा (प्रपत्र-2)			
3.	कृषक स्वघोषणा पत्र (प्रपत्र-3)			
4.	आधार कार्ड			
5.	पहचान-पत्र (आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में)	A) सरपंच प्रमाण पत्र		
		B) ड्रायडिंग लाइसेंस		
		A) राशन कार्ड		
		B) पैन कार्ड		
		C) पासपोर्ट		
		D) मतदाता परिचय पत्र		
		E) बैंक पासबुक		
		F) अन्य सरकारी दस्तावेज जिसमें आवेदक का फोटो हो।		
6.	ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के प्रकरणों में (आवेदक के ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन /RC Book की छायाप्रति जमा करना आवश्यक है।)			
7.	आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र (योजनाओं में जाति के आधार पर प्रावधानित अनुदान का लाभ लेने हेतु)			
8.	किसान समृद्धि योजना में पंप प्रतिस्थापन हेतु उप संचालक कृषि का बोर खनन एवं सफल नलकूप का प्रमाण-पत्र।			
9.	विद्युत पंप के प्रकरण में बिजली कनेक्शन का प्रमाण/ बिजली बिल की छायाप्रति			
10.	बैंक लोन प्रकरण में संबंधित बैंक द्वारा कृषक का लोन देने हेतु सहमति पत्र। (ट्रैक्टर के प्रकरण में अनिवार्य)			
11.	कोटेशन			

टीप:- संलग्न किये गये दस्तावेज के सामने सही (✓) का निशान लगावें ।

प्रपत्र-2

ग्राम पंचायत की अनुशंसा

मैं (कृषक) श्री..... पिता/पति.....जाति.....
ग्राम जिलाको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं तथा प्रमाणित करता हूं कि कृषक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अभिलेख जो परिशिष्ट..... पर पटवारी द्वारा नकल रूप में दिये गये है, सही हैं। मैं कृषक को उसकी मांग के अनुसारप्रदाय करने की अनुशंसा करता हूं।

**सरपंच/पंच
हस्ताक्षर एवं सील**

प्रपत्र-3
समक्ष पब्लिक नोटरी छ.ग.

स्व-घोषणा पत्र

- मैं पिता/पति..... जाति
- ग्राम..... प.ह.न. विकासखण्ड तहसील
- .. जिला छ.ग. का निवासी हूं तथा निम्नांकित कथन प्रस्तुत करता हूं :-
1. यह कि मैं काश्तकार हूं तथा मेरी कृषि भूमि रकबा हे. ग्रामप.ह.न.....
.....विकासखण्ड तहसील..... जिला..... छ.ग. में स्थित है।
 2. यह कि मैंने कृषि विकास के उद्देश्य से कृषि विभाग की
योजना के तहत प्रतिस्थापित/क्रय करना चाहता हूं।
 3. यह कि मैं उक्त प्रयोजन हेतु कृषि विभाग छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुदान प्रकरण का आवेदन प्रस्तुत किया हूं।
 4. यह कि मेरे द्वारा(सामग्री का नाम) पर जो भी अनुदान कृषि विभाग से प्राप्त होता है तो मैं अनुदान पर क्रय की गई सामग्री को अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास विक्रय/गिरवी नहीं करूंगा/रखूंगा। यदि मैं शर्तों का उल्लंघन करता हूं तो शासन को नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करूंगा।
 5. यह कि वसूली योग्य धन राशि मेरे द्वारा वापस नहीं की गई तो संपूर्ण अनुदान मय ब्याज के भू-राजस्व की बकाया की तरह मुझसे वसूल की जा सकेगी।

आवेदक

हस्ताक्षर

सत्यापन :-

मैं यह सत्यापित करता हूं कि घोषणा पत्र की कंडिका 1 से 5 तक में वर्णित सभी बातें सत्य व सही हैं। अतः आज दिनांक
.. को अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।

आवेदक

हस्ताक्षर

नाम.....

गवाह :- 1.
2.

संतुष्टि प्रमाण-पत्र

(सामग्री के सत्यापन एवं ट्रायल रन उपरान्त कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया जावे)

मैं पिता/पति ग्राम
विकासखण्ड तहसील..... जिला..... छ.ग.
यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने कृषि विभाग के योजनांतर्गत अनुदान पर पंजीकृत
प्रदायक/ संस्था से बैंक ऋण/स्व वित्त पर ब्रांड
..... मॉडल का (यंत्र का नाम) क्रय कर लिया है।
जिसका इंजन क्रमांक/चेसिस/सीरियल क्रमांक..... जिसकी गुणवत्ता से
मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। अतः यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।

मेरे द्वारा कृषक अंश की राशि रु. (अक्षरी राशि रु.).....
..... छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि., रायपुर के खाता में को डी.डी.
/चेक/बैंक चालान क्रमांक दिनांक को जमा कर दिया है।

अतः संबंधित प्रदायक/कम्पनी
को देय राशि का भुगतान करने की कृपा करें।

- टीप :- 1. पॉवर टिलर/स्व-चलित रीपर के प्रकरण में इंजन क्र. एवं चेसिस क्रमांक
लिखा जाय अन्य स्व चलित मशीनों में इंजन/मोटर का सीरियल क्रमांक
लिखा जाय सिंचाई पंपों में सिंचाई पंपों का सीरियल क्रमांक लिखा जाय।
2. शक्तिचलित यंत्रों जैसे कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, प्लाऊ, केज व्हील, डिस्क
प्लाऊ, एमबी प्लाऊ आदि यंत्रों में ब्रांड का नाम, मॉडल का नाम कम्पनी का
नाम आदि का लेख किया जाये।

हस्ताक्षर

कृषक का नाम.....

पूर्ण पता.....

(उप संचालक कृषि के द्वारा जारी किया जाये)

प्रमाण पत्र
(किसान समृद्धि योजना के लिये)

आवेदक श्री/श्रीमति
पिता/पति ग्राम
..... वि.खण्ड.
जिला के द्वारा किसान समृद्धि योजनांतर्गत ट्युब-वेल खनन
का कार्य कराया गया है तथा कृषक के द्वारा अभी तक पंप प्रतिस्थापन नहीं किया
गया है। इनका पंजीयन क्रमांक दिनांक है
तथा खनन किया गया ट्युब-वेल सफल है।

ट्युब-वेल हेतु सबमर्सिबल पंप प्रदाय करने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान
दिनांक

उपसंचालक कृषि
जिला